स्पाइसजेट एअरलाइंस को शीर्ष न्यायालय से मिली फौरी राहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विमानन कंपनी स्पाइसजेट लिमिटेड को राहत दे दी। एअरलाइन को बंद करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अगुआई वाली पीठ ने स्पाइसजेट के खिलाफ कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी भी की।

पर क्रेडिट सुइस के साथ विवाद को सुलझाने की स्पाइसजेट की तरफ से जताई गई इच्छा को देखते हुए राहत दी। स्पाइसजेट की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने यह कहते हुए तीन हफ्ते का समय मांगा कि वे स्विट्जरलैंड स्थित स्टाक कारपोरेशन क्रेडिट सुइस एजी के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। उधर लेनदार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने पीठ से कहा कि वे कह रहे हैं कि वे एक गंभीर पेशकश करना चाहते हैं।

उनके पास तीन हफ्ते का समय हो सकता है। अब जो पेशकश की जा रही है वह बताने लायक भी नहीं है। न्यायमूर्ति रमण ने अधिवक्ता साल्वे से पूछा कि यह क्या है? आप शो को चलाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? बेहतर है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं बताते? इस तरह से आप अपनी एअरलाइंस नहीं चला सकते। आपका योगदान क्या है? यह एक गंभीर मामला है, अगर वे (स्पाइसजेट) एअरलाइंस नहीं चलाना चाहते तो हम उसे दिवालिया घोषित करेंगे और परिसमापन के लिए जाएंगे। पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी थीं। इससे पहले इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम की एकल पीठ ने आधिकारिक परिसमापक को कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया था। हालांकि इस आदेश को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया। बाद में स्पाइसजेट ने खंडपीठ में अपील की। 11 जनवरी को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पाइसजेट की अपील खारिज कर दी थी। खंडपीठ ने भी अपने आदेश को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया था।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने 25 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर स्पाइसजेट द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया था। इसी के तहत शुक्रवार को मामले को सूचीबद्ध किया गया था।

भारी बिकवाली से सूचकांक और निफ्टी की तेजी पर लगा विराम

मुंबई, 28 जनवरी (भाषा)।

बीएसई का मानक सूचकांक सूचकांक शुक्रवार को अंतिम घंटे में हुई भारी बिकवाली से सुबह के सत्र में हासिल ऊंचाई से करीब 900 अंक का गोता लगाते हुए 77 अंक गिरकर 57,200 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस की शुरुआत काफी सकारात्मक हुई और तीस शेयरों वाला सूचकांक दोपहर के सत्र में 58,000 के स्तर से भी ऊपर चला गया। लेकिन अंतिम घंटों में बैंकिंग एवं वाहन कंपनियों के शेयरों में हुई भारी बिकवाली ने इस पूरे लाभ को गंवा दिया और आखिर में बाजार 76.71 अंक यानी 0.13 फीसद की गिरावट के साथ 57,200.23 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई के निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। कारोबार के दौरान निफ्टी भी शुरू में बढ़त लेने के बाद अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 8.20 अंक यानी 0.05 फीसद के नुकसान के साथ 17,101.95 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सूचकांक की गिरावट के पीछे मारुति सुजूकी, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआइ का हाथ रहा। इन शेयरों ने करीब तीन फीसद तक का नुकसान झेला। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'पिछले दिवस के कमजोर स्तर पर बंद होने वाले बाजार की शुरुआत मजबूत स्तर पर हुई। लेकिन जल्द ही घरेलू बाजार कमजोर यूरोपीय रुझानों से प्रभावित होकर बिकवाली के दबाव में आ गए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत सख्ती बरतने और यूक्रेन में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक धारणा को प्रभावित किया।' नायर ने कहा कि इस सप्ताह में देखी गई भारी बिकवाली के बाद आइटी, रियल्टी और मिडकैप एवं स्मालकैप का प्रदर्शन सुधरा है। एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जापान एवं कोरिया के बाजार नकारात्मक स्तर पर बंद हुए।

सोना में 423 रुपए की गिरावट, चांदी 1,105 रुपए लुढ़की

नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा)।

बहुमूल्य धातुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमजोरी और रुपए के मूल्य में सुधार के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 423 रुपए घटकर 47,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी की कीमत भी 1,105 रुपए लुढ़ककर 61,652 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 62,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, 'न्यूयार्क स्थित जिंस एक्सचेंज कामेक्स में बृहस्पतिवार को हुई बिकवाली और रुपए के मूल्य में आए सुधार को दर्शाते हुए दिल्ली में 24 कैरेट हाजिर सोने की कीमत में 423 रुपए की गिरावट देखी गई।'

बेटी कोई संपत्ति नहीं, जिसे दान किया जाए : अदालत

मुंबई, 28 जनवरी (भाषा)। बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी 17-वर्षीया बेटी को तांत्रिक को 'दान' करने के मामले में कड़ी आपत्ति करते हुए कहा है कि लड़की कोई संपत्ति नहीं, जिसे दान में दिया जाए। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी इस माह के शुरू में तांत्रिक शंकेश्वर ढाकने और उसके शिष्य सोपान ढाकने की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की। दोनों को नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त जालना जिले के एक मंदिर में इस लड़की और उसके पिता के साथ रहते थे। लड़की ने अगस्त 2021 में दोनों के खिलाफ बलात्कार के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

'महाराष्ट्र पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध'

ठाणे, 28 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री असलम शेख ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार राज्य के पावरलूम (बिजली संचालित करघे) क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

शेख ठाणे जिले के भिवंडी में बृहस्पतिवार को टेक्सटाइल एवं पावरलूम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ने कहा कि वह राज्य के बुनकरों की समस्याओं को समझना चाहते हैं और अगले एक साल के भीतर सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई कपड़ा नीति में इसके उपाय ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार को नागरिकों और उद्योगों की सेवा करने का एक अवसर दिया गया है, न कि उन्हें कुचलने या मार-पीट करने का।

मंत्री ने कहा, 'नई कपड़ा नीति की मदद से हम इस क्षेत्र में क्रांति लाएंगे।' शेख ने कहा कि वह बुनकरों की समस्याएं जानने के लिए भिवंडी, मालेगांव, सोलापुर और इचलकरंजी के पावरलूम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ताकि नई नीति में इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

कोरोना संक्रमण : दक्षिणी राज्यों को परीक्षण बढ़ाने का निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

केंद्र सरकार ने दक्षिण भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण पता करने के लिए परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक में परीक्षण के साथ ही टीकाकरण भी बढ़ाने को कहा।

ऐसे राज्य जहां परीक्षण कम है, उनके लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। मांडविया ने मरीजों की सेवा के लिए दूरस्थ सलाह (टेलीकंसल्टेशन) की भूमिका को रेखांकित करते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ऐसी सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। मंत्री ने डिजिटल माध्यम से राज्यों के साथ बैठक करने के बाद यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमानित आवश्यकता से अधिक कोविड-19 रोधी टीके की खुराक यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई, ताकि टीकाकरण अभियान की गति में कोई कमी न आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दूर-दराज के क्षेत्रों और गृह एकांतवास में रहने वाले मरीजों की सेवा के लिए देश में टेलीकंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन (फोन के जरिए उपचार परामर्श) की भूमिका पर मांडविया ने राज्यों को सलाह दी कि वे 'हब एंड स्पोक माडल' के हिस्से के रूप में बेहतर लोक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए और अधिक 'टेलीकंसल्टेशन सेंटर' खोलने पर ध्यान केंद्रित करें।

एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर करीब 13 फीसद बढ़े

नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस (एलआइसीएचएफएल) के शेयर शुक्रवार को करीब 13 फीसद चढ़ गए। दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही में कंपनी का कर चुकाने के बाद का लाभ छह फीसद बढ़ा था। बीएसई सूचकांक पर कंपनी के शेयर 12.63 फीसद की बढ़त के साथ 389 रुपए पर पहुंच गए।

निफ्टी पर यह 12.59 फीसद बढ़कर 389 रुपए पर आ गए। एलआइसीएचएफएल ने बृहस्पतिवार को बताया था कि दिसंबर में खत्म तिमाही में कर चुकाने के बाद उसका लाभ छह फीसद की बढ़त के साथ 767.33 रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का कर के बाद लाभ 727.04 करोड़ रुपए था। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी वाइ विश्वनाथ गौड़ा ने कहा, 'आय कमोबेश वही है। इसके अलावा तिमाही के दौरान हमारे कलेक्शन अच्छे रहे हैं।'

ऐक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशुल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

कब्जा सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)/नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित कर्जदार/गारन्टर को नीचे दिये विवरण के अनुसार मांग सूचनाऐं जारी की थी जिनमें उनको सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं एतद्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारणको सूचना दी है कि अधोहस्ताक्षी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ सपठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपनियम 4 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधिपत्य निम्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लि. के प्रभार के अध्यधीन होगा। **कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

कर्जदार/सह-कर्जदार के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि व राशि (रु.)
श्री मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद शफी **(आवेदक/बंधककर्ता)** श्री मोहम्मद शफी **(सह-आवेदक)**	मकान नं. 64-सी, आदर्श नगर, तेखड़ा रोड, बोरखेड़ा, कोटा राजस्थान 324001	25/01/2022	**29-10-2021** Rs. 2,366,898 /- + Interest And Costs
श्री बंजरग लाल पुत्र मीखाराम जाट **(आवेदक/बंधककर्ता)** श्रीमती अनीता पत्नी श्री बंजरग लाल **(सह-आवेदक)**	प्लॉट नं. 277, गिरधर कोरल नगर, खसरा नं. 88 एमआईएन, करमीसर, बीकानेर,श्री बंजरग लाल के नाम पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग गज है।	25/01/2022	**03-09-2021** Rs.10,48,634/- + Interest And Costs

उपर्युक्त कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर को इस राशि को चुकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी हुई संपत्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएगी, इस प्रावधान के तहत सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 **कर्जदार का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के उप खण्ड (8) के प्रावधानों के लिए** आमंत्रित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (एक्सिस बैंक लि.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः 24, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, दिल्ली-110041

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नांगलोई, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **25/11/2021** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मिस प्रियंका तिवारी एवं श्री प्रदीप तिवारी,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.18,06,228/- (अठारह लाख छः हजार दो सौ अठाइस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 25.01.2022** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.18,06,228/- (अठारह लाख छः हजार दो सौ अठाइस रूपये मात्र)** और ब्याज + कानूनी एवं अन्य शुल्क के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नांगलोई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जिसमें स्थित सम्पत्ति शामिल है: पते पर स्थित निवास के साम्यिक बंधक में आवासीय सम्पत्तिः- मिस प्रियंका तिवारी एवं श्री प्रदीप तिवारी, सम्पत्ति सं. आरजेड-58 (दूसरा तल), आरजेड-58/210, जे-ब्लॉक, गली नं.2, पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली-110046. जो घिरा है:
पूर्वः आरजेड-60/210 उत्तरः अन्य की सम्पत्ति
पश्चिमः आरजेड/62/210 दक्षिणः रोड 16 फीट

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 25.01.2022 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)

की परिसंपत्तियों के लिए विक्रय सूचना
(माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांकित 02.05.2019 द्वारा परिसमापन के अंतर्गत एक कंपनी)
कंपनी का पंजीकृत कार्यालयः साउथ टॉवर, चतुर्थ तल, स्कोप मीनार कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मीनगर, जिला केंद्र, नई दिल्ली-110092

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड—परिसमापन के अंतर्गत—की, ऋणशोधन क्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 (विवरणों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया प्रलेख का संदर्भ लें), के अंतर्गत निम्नलिखित परिसंपत्तियों का, जैसी हैं जहां है आधार, जैसी हैं जो है आधार, वहां जो कुछ भी है आधार और बिना संसाधन आधार पर विक्रय करने हेतु, ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से, दिनांक 01.03.2022 को दोपहर 12.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक आयोजित की जानेवाली ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा। इस ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने तथा इस हेतु पंजीकरण करने के लिए www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें और अधिक विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए www.mstcindia.co.in देखें।

स्थान/परिसंपत्तियां	पता/क्षेत्र	लॉट	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	धराज (आईएनआर)
1. नागांव पेपर मिल (एनपीएम) (एचपीसी लिमिटेड की एक इकाई) 2. कचार पेपर मिल (सीपीएम) (एचपीसी लिमिटेड की एक इकाई) (दोनों संयंत्र तकनीकी क्षेत्र, टाउनशिप क्षेत्र में उन समस्त परिसंपत्तियों के साथ हैं जो एनपीएम और सीपीएम में पड़ी हुई हैं) 3. हॉफलांग में स्थित पट्टाधारक भूमि	1. नगांव पेपर मिल, निकट जगीरोड टाउन, नेशनल हाईवे नं. 37, मोरीगांव जिला, असम। विषयगत संपत्ति का भूमि क्षेत्र- 573.95 एकड़ अधिक अथवा कम 2. कचार पेपर मिल जो पंचग्राम रेलवे स्टेशन के समीप, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53, बदरपुर उत्तर एवं दक्षिण, तहसील-अगला. पुर, जनपद-हैलाकांडी, असम में स्थित है विषयगत संपत्ति का भूमि क्षेत्र- 1008 एकड़ अधिक अथवा कम 3. हॉफलांग, दीमा हसावो जनपद, मापन 10 खाता (पता नं.- 295, डीएजी नं. 25) अधिक अथवा कम	लॉट-1	459.27 करोड़	45.90 करोड़
1. गुवाहाटी में आवासीय फ्लैट (संदर्भ नोट 1)	फ्लैट नं. 103, प्रथम तल, ब्लॉक नं. ए-15, नेशनल गेम्स विलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, बोरसाजी, मौजा, बेल्टोला, जनपद कमरूप, असम मापन अधि-निर्मित क्षेत्र 1,250 वर्ग फुट अधिक अथवा कम	लॉट-2	0.40 करोड़	4 लाख
1. गुवाहाटी में अवासीय फ्लैट (संदर्भ नोट 1)	फ्लैट नं. 104, प्रथम तल, ब्लॉक नं. ए-15, नेशनल गेम्स विलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, बोरसाजी, मौजा, बेल्टोला, जनपद कमरूप, असम मापन अधि-निर्मित क्षेत्र 1,250 वर्ग फुट अधिक अथवा कम	लॉट-3	0.40 करोड़	4 लाख
1. मुंबई में आवासीय फ्लैट	फ्लैट नं. 301, तृतीय तल जो भवन सं. 15 (अनिकेत) में है, जो प्रेम ज्योति हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का है, ऑफ चेंबूर मनखुर्द लिंक रोड, चेंबूर, जनपद-मुंबई 400043, महाराष्ट्र मापन कॉर्पेट क्षेत्र 652 वर्ग फुट अधिक अथवा कम	लॉट-4	1 करोड़	10 लाख
दिल्ली में कार्यालय (पट्टाधारक संपत्ति) लॉट-5 की नीलामी जो है वह अन्य नियमों एवं शर्तों के साथ स्कोप द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 24.08.2021 के अनुसार केवल पीएसयू एंटिटी तक सीमित है।	स्कोप मीनार, चतुर्थ तल, दक्षिण टॉवर, कोर-4, लक्ष्मीनगर जिला केंद्र, दिल्ली-110002, मापन 547.64 वर्ग मीटर अधिक अथवा कम	लॉट-5	6.89 करोड़	65 लाख
1,13,62,231 समता अंश जो रु. 100 प्रत्येक का नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड का है	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (सीआईएनः यू21012एनएल1971एसजीसी001349) जिसका पंजीकृत कार्यालय पेपर नगर, पी.ओ. – तुली, जनपद– मोकोकचुंग नागालैंड 798623 में स्थित है	लॉट-6	10.06 करोड़	1 करोड़

टिप्पणी :-
1) यहां केवल विक्रय का अनुबंध है और फ्लैट जो है वह अभी भी हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम में पंजीकृत नहीं है।
धरोहर राशि जमा (धराज) के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.02.2022 को सायं 5 बजे तक है। यदि दिनांक 08.02.2022 तक कोई भी ईओआई और धराज प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी निरस्त हो जाएगी। समस्त ईओआई जो हैं, वह http://hindpaper.in पर अपलोडेड आमंत्रणों के अधीन हैं। समस्त पत्र-व्यवहार अथवा संचार जो हैं, उन्हें kuverma@gmail.com/liquidation.hpcl@gmail.com को संबोधित/प्रेषित किया जाना होगा।

कुलदीप वर्मा
हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक
आईबीबीआई पंजी. सं.- IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038
पंजीकृत कार्यालयः 46 बी.बी. गांगुली मार्ग, 5वां तल
यूनिट नं.-501, कोलकाता-700012
पंजीकृत ईमेल आईडीः kuverma@gmail.com
दूरभाषः 91 98360 77900

दिनांकः 29.01.2022
स्थानः कोलकाता

SPV GLOBAL TRADING LIMITED

Registered Office: 28/30, Anant Wadi, Binani Bhavan, Ground Floor, Bhuleshwar, Mumbai – 400 002 | **Tel. No.:** +91 022 – 2201 4001
E-mail: info@spvglobal.in | **Website:** www.spvglobal.in
Corporate Identification Number: L27100MH1985PLC035268

NOTICE For the Attention of Shareholders of SPV Global Trading Ltd.

Shareholders may note that your company has entered into an agreement with the Depositories whose details are as under:

Name of the Depositories	Face Value of Equity Shares	Agreement Date	International Securities Identification Number (ISIN)
Central Depository Services (India) Limited (CDSL)	₹10	September 26, 2001	INE177E01010
National Securities Depository Limited (NSDL)	₹10	January 17, 2022	INE177E01010

We request all the equity shareholders who are holding equity shares of the company in physical mode to convert their physical share certificates into Dematerialization immediately so that they can receive corporate benefits as and when declared by the company.

For SPV Global Trading Limited
Sd/-
Balkrishna Bhawanidas Binani
Managing Director

Date: January 28, 2022
Place: Mumbai

स्वशासित सामाजिक, धार्मिक सोसायटी की निर्णय प्रक्रिया को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती : शीर्ष अदालत

नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वशासित सामाजिक और धार्मिक न्यासों पर 'सरकार का अत्यधिक नियंत्रण' नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वायत्तता और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने के सिद्धांत को तिरोहित करेगा। अदालत का यह निर्णय पारसी जोरोस्ट्रियन अंजुमन, महू की अपील पर आया, जिसमें पंजीकृत सामाजिक और धार्मिक न्यासों पर सरकार के नियंत्रण के अधिकार पर सवाल उठाए गए थे। सोसायटी रजिस्ट्रार ने सभी जरूरी प्रक्रिया अपनाए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में अंजुमन की पांच संपत्तियों को बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति आर रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के पीठ ने कहा, 'आक्षेपित निर्णय और रजिस्ट्रार का फैसला निरस्त किया जाता है।' पीठ ने साथ ही पारसी ट्रस्ट को अपनी पांचों संपत्तियों को नए मूल्यांकन के साथ बेचने की अनुमति प्रदान कर दी।

IDBI BANK — आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड

CIN:L65190MH2004GOI148838
क्षेत्रीय कार्यालयः एनसीआर, वीडियोकान टॉवर, नई दिल्ली, 110055

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ऋणी द्वारा बैंक को बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से, बैंक के पक्ष में गिरवी रखे गए सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। नीलामी दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 01.02.2022 को बैंक के सेक्टर-18, नोएडा शाखा में राहुल दास, पलवल शाखा में बीना पत्नी कुमार पाल और राजनगर, गाजियाबाद शाखा में संतोष कुमार झा व अनिल कुमार के लिए आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	खाता नंबर	उधारकर्ता का नाम और पता	गिरवी सोने के आभूषणों का विवरण	ग्राम में सकल वजन	ईएमडी रु. में	आरक्षित मूल्य रुपये में
1.	0109671100003735	**राहुल दास,** ए-53, मेट्रो पिलर नंबर 95 के समीप, कैलाश कॉलोनी दिल्ली 110048	2 चूड़ी	35.44	4800	94525
2.	034367110023791	**बीना** पत्नी कुमार पाल, हाउस नंबर 660, वार्ड नंबर 17, प्रेम पट्टी, फवारे वाला चौपाल, बंचारी, होडल, पलवल-121105	4 चूड़ियाँ, 2 काँठी, 4 अंगूठियाँ, 6 स्टड, 1 लॉकेट	89	19600	391600
3.	0066671100001595	**संतोष कुमार झा,** पताः मकान नं. 118 चित्रकूट कॉलोनी, अर्थला राधा कृष्ण मंदिर के समीप, गाजियाबाद, उ.प्र. 201001	06 बालियां, 01 लॉकेट, 01 लॉकेट	17.65	2562	51233
4.	0066671100002769	**अनिल कुमार,** मकान नं 314, घुघरावली, बुलंदशहर-202398	06 अंगूठी, 02 बाली, 01 अंगूठी	24	3786	75726
5.	0066671100002844	**अनिल कुमार,** मकान नं 314 घुघरावली, बुलंदशहर-202398	02 रिंग, 01 लॉकेट	8.84	1489	29778

नीलामी बैंक द्वारा निर्धारित बिक्री के नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसकी एक प्रति 29.01.2022 से 31.01.2022 तक सेक्टर-18 नोएडा शाखा, पलवल शाखा और राजनगर, गाजियाबाद शाखा के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी और इच्छुक पक्ष इसे संदर्भित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को बिक्री के पूर्वोक्त नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी होना समझा जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2022 है।

स्थानः नई दिल्ली हस्ता./-
दिनांकः 29.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी

अदालत ने अनिल देशमुख, उनके बेटों के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

मुंबई, 28 जनवरी (भाषा)।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके दो बेटों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लिया। विशेष धन शोधन रोकथाम अधनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश, आरएन रोकड़े ने आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

पिछले साल दिसंबर में ईडी ने मामले के सिलसिले में 7,000 पृष्ठों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। देशमुख के अलावा जांच एजंसी ने मामले में आरोपी के तौर पर उनके दो बेटों को नामजद किया था। इससे पहले जांच एजंसी ने देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। देशमुख को ईडी ने मामले के सिलसिले में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा — Bank of Baroda

विजया VIJAYA | देना

वसूली विभाग, ईस्ट दिल्ली रीजन
प्रथम तल, 16, संसद मार्ग,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, नई दिल्ली-110001

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र सं.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय	शाखा और सम्पर्क नं.
1	उधारकर्ताः श्री दिलीप कुमार और श्रीमती सुनीता, रिहायशी पताः एफसी ए-824, एसजीएम नगर, सी-ब्लॉक 20 फीट रोड एनआईटी फरीदाबाद – 110092	**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति द्वितीय तल, प्रा. फ्लैट नं. 12, खसरा नं. 298/1, लाल डोरा की आबादी, गदाईपुर, तहसील-महरौली, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार और श्रीमती सुनीता के नाम पर है क्षेत्रफल – 48. 77 वर्ग मी.,** चौहद्दी : उत्तर में – फ्लैट नं. सी-4, दक्षिण में – प्रवेश / फ्लैट नं. सी-2, पूरब में – सर्विस लेन, पश्चिम में – खुला स्पेस	**रु. 16,96,836.85 और दिनांक 29.12.2020 से ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि**	₹ 18,43,000/- / ₹ 1,84,300/- / ₹ 25,000/-	08-03-2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक	भौतिक	25-02-2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	लक्ष्मी नगर शाखा शाखा प्रबंधक श्रीमती अनु संधू 8130286832
				धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि - 07.03.2022				
2	उधारकर्ताः श्री मोहम्मद आदिल पुत्र अहमद खान और श्रीमती फरजाना बानो पत्नी मो. आदिल रिहायशी पताः सी-32, ब्लॉक सी न्यू जाफराबाद, शाहदरा दिल्ली-110032	**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. सी-32, ब्लॉट सी, न्यू जाफराबाद शाहदरा दिल्ली-110032 में स्थित, क्षेत्रफल – 105 वर्ग मी.,** चौहद्दी : उत्तर में – गली 10 फीट, दक्षिण में – 10 फीट चौडी सर्विस लेन, पूरब में – स्मॉल गली एंड पार्क, पश्चिम में – प्लॉट नं. सी-31	**रु. 1,04,54,026.05 और दिनांक 29.01.2021 से ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि**	₹ 71,08,550/- / ₹ 7,11,000/- / ₹ 25,000/-	08-03-2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक	भौतिक	25-02-2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	अंसारी रोड शाखा विवेक कुमार सिंह 011-23262953 011-23270531
				धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि - 07.03.2022				

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित सम्पत्ति के समक्ष शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

दिनांक : 29-01-2022, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L51909DL1983PLC015585
पंजीकृत कार्यालयः 10/60, औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110 015
दूरभाषः 011-41426055, वेबसाइटः www.abmintl.in
ई-मेलः vkgandhi@abmintl.in

बोर्ड बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की एक बैठक का आयोजन बुधवार 9 फरवरी 2022 को 10/60 औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में किया जाएगा, जिसमें यानी कि बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के लिए कंपनी के एकल तथा समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा और उनका अनुमोदन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, कंपनी के पदनामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार का विनियमन, निरीक्षण और प्रतिवेदन करने के लिए लागू आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इंसाइडर व्यापार का निषेध) विनियमावली 2015 के अनुसार कंपनी की व्यापारिक खिड़की जो है उसे 1 जनवरी 2022 से कंपनी के समता अंशों के व्यापार करने के लिए बंद कर दिया गया है और यह जनता के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के उपरांत 48 घंटों तक बंद रहेगी।

कृते एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-
(विरेंद्र कुमार गांधी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00244762

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.01.2022

www.readwhere.com